भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
<u>तारांकित प्रश्न सं. 18</u>
(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946(शक) को दिया जाना है)

कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती के बाद कर संग्रह

18. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री बलभद्र माझीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती के बाद कर संग्रह और विदेशी निवेश आवक में समग्र वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रदत्त कर लाभों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है और आर्थिक विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) देश में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ऐप्पल, गूगल और टेस्ला जैसे और अधिक अंतरराष्ट्रीय कारपोरेशनों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किन विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है; और
(घ) भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पहल किस प्रकार कर राजस्व और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

भर्तृहरि महताब और श्री बलभद्र माझी द्वारा कॉरपोरेट कर की दरों में कमी के बाद कर संग्रह के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) जी हां ।

निर्धारण वर्ष 2020-21 से कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह में समग्र वृद्धि हुई है (कोविड-प्रभावित वर्ष होने के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर) । पिछले पाँच वर्षों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह**
2019-20	10,50,681
2020-21	9,47,176 #
2021-22	14,12,422
2022-23	16,63,686
2023-24	19,60,166*
2024-25 (31.12.2024 तक)	16,14,572*

स्रोत: प्रधान सीसीए (सीबीडीटी)

#कोविड प्रभावित वर्ष

*अनंतिम

शुद्ध विदेशी निवेश आवक वित्त वर्ष 2019-20 में 44,417 अमेरिकी डॉलर (मिलियन में) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 53,105 अमेरिकी डॉलर (मिलियन में) हो गया है [भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (https://data.rbi.org.in/) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार]।

(ख) घरेलू कंपनियों को पुरानी कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**कर लाभ की प्रकृति**
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों/उपक्रमों के निर्यात लाभ में कटौती
2.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती
3.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित कुछ शर्तों की पूर्ति के साथ विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए कटौती
4.	अवसंरचना सुविधाओं के विकास , बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों और बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रमों के मुनाफे में कटौती
5.	औद्योगिक उपक्रमों के निम्नलिखित से प्राप्त लाभ की कटौती- • खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन • आवास परियोजनाएं • खाद्यान्नों के रख-रखाव, भंडारण और परिवहन का एकीकृत व्यवसाय • फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग • जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट का संग्रहण और प्रसंस्करण

6.	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र [आईएफएससी] के लिए कटौती
7.	उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लिए कटौती
8.	नए कामगारों के नियोजन के लिए कटौती
9.	पात्र स्टार्ट-अप्स के लिए कटौती
10.	प्राप्त लाभांश के लिए कटौती

वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनियों को दिए गए कर लाभ के कारण कुल राजस्व प्रभाव क्रमशः 96,892.39 करोड़ रु. और 1,09,333.38 करोड़ रु. (अनुमानित) था (स्रोत: प्राप्ति बजट 2024-25)। उपरोक्त कर लाभों के प्रभाव से कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धी बनते है तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलता है जिससे आर्थिक वृद्धि होती है।

(ग) आयकर अधिनियम में दिए जाने वाले विशिष्ट प्रोत्साहन जैसा कि उचित समझा जाएगा वित्त विधेयक का हिस्सा बनते हैं।

(घ) घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाने, नए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम में धारा 115खकक और धारा 115खकख जोड़ी गई थी। धारा 115खकख का प्रभाव नई विनिर्माण कंपनियों की उल्लेखनीय वृद्धि में निर्धारण वर्ष 2022-23 में 2,928 से निर्धारण वर्ष 2024-25 में 7,185 होने में परिलक्षित होता है ।

स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहल के परिणामस्वरूप धारा 80झकग के तहत कटौती का दावा करने वाले स्टार्ट-अप्स की संख्या निर्धारण वर्ष 2022-23 में 328 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 877 हो गई है। इसके अलावा, नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में धारा 80ञञकक के तहत कवर की गई कंपनियों की संख्या निर्धारण वर्ष 2022-23 में 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है।

की गईं पहलों से रोजगार सृजन, कर राजस्व में वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास हुआ है।

*****